~~अवर सचिव, भारत सरकार।~~

<u>संख्या-जी.आई.97 आर/छ-पु-5-93-1262/87</u>

प्रेषक,

आर0के0 तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस)अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक: 24 सितम्बर, 1993

विषयः- <u>शस्त्र अधिनियम/नियम-राज्य लाईसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा 8 अगस्त, 1987 से पूर्व उनकी प्रत्यायोजित शक्तियें के अधीन निषिद्ध बोर आग्नेयास्त्रों को रखने के लिए प्रदत्त लाइसेसों की दूसरी प्रतियॉ जारी करने की शक्तियों के बारे में स्पष्टीकरण।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 8.8.87 से पूर्व आयुध नियमावली, 1962 की अनुसूचि-1 की श्रेणी 1(बी) के शस्त्रों की लाईसेंसिंग अथारिटी राज्य सरकार तथा श्रेणी 1 (सी) के शस्त्रों की लासेंसिंग अथारिटी जिला मजिस्ट्रेट थे। इस प्रकार 8.8.87 से पूर्व लाइसेंसिंग अथारिटी द्वारा उक्त प्रकार के जारी लाइसेसों की डुप्लीकेट प्रति उसी सक्षम लाइसेंसिग अथारिटी द्वारा जारी की जायेगी।

2- इस विषय में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-11027/29-91-आर्म्स, दिनांक-18.8.93 की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पथ प्रदर्शनार्थ एतदद्वारा संलग्न की जाती है।

संलग्न यथोपरि

भवदीय,

(आर0के0 तिवारी)
संयुक्त सचिव।